कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा।
Email:- wkcddarbhanga@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)- 03/2026–27

पत्रांक................................/ दरभंगा, दिनांकः– / /2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के सतत अनुश्रवण, आकस्मिक/खरीफ सिंचाई 2026 में निरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्यों हेतु भाड़े पर अवर प्रमंडल पदाधिकारियों के दिवा–रात्रि उपयोग हेतु 01 (एक) अदद् बोलेरो (चालक सहित)/ समतुल्य अथवा उच्चतर वाहन मॉडल वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए आवश्यकता है। आपूर्ति/सेवा हेतु आपूर्ति कर्त्ताओं/संवेदको/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

- कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :–दिनांक–18.06.2026
- कोटेशन जमा करने की तिथि :–दिनांक–25.06.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
- कोटेशन जमा करने का स्थान :–कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल दरभंगा।
- कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :–दिनांक–25.06.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक।
- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :–कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल दरभंगा।

नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

1. वाहन 27 जून 2026 से अक्टुबर 2026 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नहीं किया जायेगा।
2. वाहन का मॉडल वर्ष 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिये एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक फर्म के द्वारा हीं किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होनें पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
11. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से अधिक हो मान्य होगा।
12. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होनें पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

13. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
14. कोटेशन कभी भी बिना करण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित स्वअभिप्रमाणित शपथ–पत्र एवं क्रमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 25.06.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराह्ण तक समर्पित करेंगे जिसे दिनांक 25.06.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूतिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा सामान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूतिकर्त्ता का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूर्तिकत्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये Whatsapp Number/Email के माध्यम से दी जायेगी। वाहन मालिक/वाहन आपूतिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं स्वअभिप्रमाणित शपथपत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय में संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।
15. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्न प्रपत्र में देना होगा।

क्र0 सं0	वहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा

ह0/
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा।

पत्रांक 1065, / /दरभंगा, 18/06/2026 दिनांक............/2026

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रतियों में) विभागीय बेबसाईट पर डालने हेतु तथा कम से कम दो लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

18/6/26

कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा।

18/6/26